न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र /2021(2021/431)

1. बजरंग पुत्र श्री जयराम जाति बैरवा निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी अजमेर।

—वादी

बनाम

1. मानी देवी पत्नी धन्ना जाति बैरवा निवासी भील कॉलोनी, सुनारिया तह. सरवाड जिला अजमेर राजस्थान।
2. हीरा पत्नी गोगा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसलदार महोदय केकड़ी जिला–अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय केकड़ी।

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील प्राथी
उम्मेद सिंह राठौड़ – वकील अप्रार्थी

–ःआदेशः– दिनांक

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। वकील प्रार्थी के द्वारा एक पक्षीय बहस कर अन्तिरीम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की। प्रकरण मे सार–भूत कानूनी बिंदू निहीत होने से प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक रिकॉर्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की अन्तिरीम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया गया। आराजी का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता सं नया–पुराना	खसरा	रकबा(है0)	किस्म
530–462	675	0.72	चाही
	676	0.03	गै.मु.चाह
	678	0.66	चाही 1
531–461	699	0.20	चाही 1
	700	0.30	चाही 1
534–184	316	0.7[illegible]	नहरी 1
	360	0.[illegible]	नहरी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

532–346	199 200	0.85 0.48	नहरी 2 नहरी 2
533–186	690 691	0.25 0.30	बारानी उत्तम बारानी उत्तम

उक्त वर्णित आराजीयात पार्थी की पुरतेनि आराजीयात है जो उसके कब्जे काश्त उपभोग मे चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में गोगा पुत्र देवीलाल जाति बैरवा के नाम बेतौर खातेदार 1/3 हिस्सा दर्ज था। इनकी मृत्यु के उपरांत उसके कोई जांइदा पुत्र व पुत्री नहीं होने से एकमात्र उसकी पत्नि हीरा गोगा के नाम बतौर खातेदार दर्ज जरिये वीरासत के राजस्व रिकॉर्ड में कि गई हीरा पत्नि गोगा ने एक इकरारनामा बाबत् सहमति से पारवारिक समझौता इकरार नाम तरदीक कराकर गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षकर कर असल इकरारनामा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जो कि प्रार्थी को जरिये गोद नामा व पारिवारीक आपसी सहमति से प्राप्त हुई है यदि अप्रार्थी सं 1 उक्त आराजी को बैचान अन्तरण हस्तान्तरण कर प्रार्थी से उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी का अजहद क्षति होगी तथा प्रार्थी अपने हक अधिकार की आराजी से जबरन बेदखल हो जायेगा इसलिए अप्रार्थी सं 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे की वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को बेचान अन्तकरण हस्तान्तरण इत्यादी नहीं करे यानि की आराजी के बाबत् मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण स्वयं उसके नौकर चाकर को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे तथा काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। तथा अराजीयात के बाबत मौके की स्थिति यथावत बनायी रखे जावे। अप्रार्थी की ओर उनके लायक अभिभाषक श्री उम्मेद सिंह राठौड ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जिसमे प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को फर्जी झूठा व संडयत्र पुर्वक रचा गया दस्तावेज बताया गया तथा कहा गया कि कथित इकरारनामा रजिस्टर्ड नहीं है जिससे आधार पर प्रार्थी किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं कर सकता है बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के अधिकार बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है अतः प्रार्थी बजरंग ने बिना कानूनी प्रकिया व वैध व अमान्य दस्तावेज के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है जवाब प्रस्तुत होने पर वकिल पक्षकारान कि बहस सुनी गई प्रार्थी के वकील का कथन है कि यह आराजी प्राथीगण कि पुश्तैनी आराजीयात है यह आराजी गोगा पुत्र देवीलाल 1/3 हिस्सा के नाम दर्ज थी गोगा की पत्नि हीरा के नाम दर्ज हुई जवाब दावे में इकरारनामा का कोई खंडन नहीं किया है अप्रार्थीगण का ना ता कब्जा है और ना ही उनके पक्ष मे विधिक दस्तावेज है केवल जमाबंदी मे उनका नाम है इसके आधार पर उन्हे कोई अधिकार हासिल नहीं हो जाता है।

अप्रार्थी के लायक वकील श्री उम्मे[illegible] वितर्क प्रस्तुत करते हुये बताया कि टी.पी एक्ट सेक्शन 10 के [illegible] के लिये किसी को बाध्य नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

कर सकते है गोदनामा भी नहीं है गोद जाने और गोद लेने के संबधित रितीरिवाजो का पालन नहीं किया गया है इकरारनामा 9.72012 को लिखा गया था लिखावट 8.7.2012 की है। हीरा के जीवित रहते उसकी संम्पति का स्थानांन्तारण नहीं किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय श्रीधर बनाम एन. रवन्ना दिनांक 11 फरवरी 2020 प्रस्तुत किया जिसका सहसम्मान अध्ययन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। फिल्हाल न्यायालय को यह देखना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीन सारभुत बिंदु प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित कर पा रहा है अथवा नहीं? प्रथम दृष्टिया केस सुविधा का संन्तुलन और अपूर्णनीयक्षति। प्रार्थी बजरंग पुत्र जयराम के पक्ष मे जारी अन्तंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश हटाया जाने से उसे अपूर्णनीयक्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:49:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner